न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

अम्बालाल पुत्र थानारामजी, जाति– पुरोहित, निवासी–तंवरी, तह. व जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, तंवरी, तहसील व जिला– सिरोही
2. भरत कुमार पुत्र धुडाजी, जाति–पुरोहित, निवासी–तंवरी, तह. व जिला–सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 08/2018

"निगरानी आवेदन अंर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, अप्रार्थी संख्या– 2 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 23 दिसम्बर, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 (भरत कुमार) को निःशुल्क भूखण्ड आवंटन का जारी निपट्टा संख्या 03 दिनांक 31.10.1990 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–2 (भरत कुमार) की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या–1 (एक) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये एवं न ही इनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत किया।

(3) बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के मालकी स्वामित्व का पट्टेशुदा भूखण्ड मय मकान ग्राम तंवरी में आया हुआ है एवं प्रार्थी के पिता थानाराम जी एवं थानाराम जी के भाई मोटाराम, अप्रार्थी भरत कुमार व अनिल कुमार द्वारा एक आबादी भूखण्ड जिसका ग्राम पंचायत तंवरी द्वारा बाबुलाल, खेतमल पुत्र मगाजी महाजन निवासी तवरी के नाम से दिनांक 27.06.1976 को पट्टा जारी किया हुआ है को पंजीकृत विक्रय विलेख के खरीद किया हुआ है। प्रार्थी के पिता थानाराम जी की मृत्यु के बाद प्रार्थी अम्बालाल मौके पर काबिज एवं भूखण्ड खरीद की दिनांक 07.8.1918 से बतौर मालिक काबिज है एवं मौके पर मकान बने हुए है तथा परिवार सहित निवास करते आ रहे है। प्रार्थी का मकान जो निगरानी आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शे में ABCD मार्क से अंकित किया गया हैं और उसके लगते दक्षिण दिशा की ओर प्रार्थी के भाईयों के मकान आए हुए हैं, जो मार्क XYZ से अंकित किए हुए है। प्रार्थी के मकान में आवागमन हेतु उत्तर दिशा की तरफ मुख्य दरवाजा लगा हुआ हैं व एक दरवाजा पूर्व दिशा की ओर लगा हुआ है। प्रार्थी के मकान का मुख्य दरवाजा जो कि मार्क M से [illegible] मुख्य रोड़ जो फलवदी रोड़ हैं उक्त रोड़ पर उक्त मुख्य दरवाजा खु[illegible]से प्रार्थी आवागमन करता आ रहा है। प्रार्थी का मकान जो [illegible] ABCD से अंकित किया है उसमें मुख्य दरवाजा नजरी नक्शे में मार्क M से अंकित किया है उक्त मुख्य दरवाजा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested

......पे[illegible]

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

आगे खाली भूमि पड़ी हुई है उसके आगे मुख्य सडक है, इस मुख्य दरवाजे से प्रार्थी अपने मकान में कदीम से आवागमन करता आ रहा है। प्रार्थी के मकान के आगे खाली पड़ी भूमि जिस पर प्रार्थी का मुख्य दरवाजा लगा हुआ है एवं दरवाजे के आगे की भूमि 10x50 फीट का अप्रार्थी भरत कुमार ने ग्राम पंचायत, तंवरी के तत्कालीन पदाधिकारियों से मेल मिलाप कर प्रार्थी के मकान के मुख्य दरवाजे को बन्द करने की नियत गलत रुप से निःशुल्क पट्टा संख्या 3 दिनांक 31.10.1990 को प्राप्त कर लिया जो विधि विरुद्ध है। यह कि निःशुल्क भूखण्ड का आवंटन ग्राम पंचायत द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति कारीगरो, लघु व सीमान्त कृषकों को ही पंचायत की आबादी भूमि में किया जा सकता है। यह कि अप्रार्थी भरत कुमार के पास पूर्व से ही क्रयशुदा आबादी भूखण्ड पर मकान बना हुआ है, इस कारण से अप्रार्थी निःशुल्क भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता नही रखता था एवं अप्रार्थी भरत कुमार निःशुल्क भूखण्ड आवंटन हेतु वर्णित श्रेणी में भी नही आता है। अप्रार्थी भरत कुमार लघु सीमान्त काश्तकार की श्रेणी में भी नही आता है। यह कि ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा अप्रार्थी भरत कुमार को निःशुल्क भूखण्ड आवंटन के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नही किया है एवं न ही प्रश्नगत पट्टा ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा जारी किया गया है। प्रश्नगत पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत, तंवरी में किसी प्रकार का कोई रेकर्ड उपलब्ध नही है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टा विधि विरुद्ध एवं फर्जी दस्तावेज है एवं ऐसे दस्तावेज के आधार पर अप्रार्थी भरत कुमार को किसी भी प्रकार के हक अधिकार प्राप्त नही होते है। यह कि प्रश्नगत पट्टे की आड में अप्रार्थी भरत कुमार द्वारा जबरदस्ती प्रार्थी के मकान के उत्तर दिशा के मुख्य दरवाजे को बन्द करने हेतु आमदा है। यह कि अप्रार्थी संख्या–2 के हक में जारी पट्टा विलेख की शर्त संख्या 08 के अनुसार 02 वर्ष के भीतर मकान या झोपड़ा बनाना अनिवार्य था एवम दो वर्ष की अवधि में उक्त कार्य नहीं किया जाता हैं तो उक्त आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जाता है इस कारण भी उक्त पट्टा विलेख निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी भरत कुमार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 3 दिनांक 31.10.1990 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी भरत कुमार के अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि बाबुलाल, खेतमल पिसरान मगाजी महाजन के स्वामित्व के पट्टा संख्या 4 दिनांक 27.06.1976 की सम्पत्ति (भूखण्ड) अप्रार्थी संख्या 2 एवं उसके भाई थानाराम, मोटाराम, अनिलकुमार पिसरान धुडाजी पुरोहित, निवासी– तंवरी ने जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 934/1981 दिनांक 07.09.1981 के खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था. उक्त सम्पत्ति खरीद के समय खाली भूखण्ड था। थानारामजी की मृत्यु हो चुकी है तथा उनके पिछे प्रार्थी अम्बालाल, गणेश तथा फालुदेवी पत्नि थानारामजी पुरोहित है। यह कि प्रार्थी ने निगरानी आवेदन के साथ जो नक्शा प्रस्तुत किया है वह मौके की स्थिति अनुसार नही है। पट्टा संख्या 4 दिनांक 27.06.1976 के भूखण्ड में आवासीय मकान वर्ष 1995 में निर्मित हुआ है। नक्शा में दर्शित मार्क ABCD प्रार्थी का मकान होने तथा उसके दक्षिण में प्रार्थी के भाईयों के मकान होने का कथन गलत है। प्रार्थी के आवासीय मकान का दरवाजा उत्तर दिशा की तरफ होने का कथन भी गलत है। प्रार्थी व उसके भाई के आवासीय मकान का दरवाजा पूर्व दिशा की तरफ है। यह कि उक्त पट्टा संख्या 4 दिनांक 27.06.1976 के क्रय शुदा भूखण्ड के उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 2 के स्वामीत्व तथा कब्जे की पट्टाशुदा [illegible] रास्ता है। पट्टा संख्या 4 दिनांक 27.06.1976 की भूमि के उत्तर दिशा [illegible] यत की पडत भूमि थी तथा उसके आगे रास्ता था। ग्राम [illegible] में प्रार्थी को किया जाकर प्रार्थी को कब्जा [illegible] संख्या 2 ने आबंटन के

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

बाद उस पर कमरा बनाकर निवास करना प्रारम्भ किया, जिस पर विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 2 अपने पट्टा शुदा भूमि पर वर्ष 1990 से लगातार काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 ने करीब 10 वर्ष पूर्व अपने आवासीय कमरे के स्थान पर अपने व्यवसाय के लिए केबीन का निर्माण कार्य करवाया है, जो मौके पर आज भी यथावत है। प्रार्थी के मकान का दरवाजा पूर्व दिशा की ओर स्थित आम रास्ते में है। प्रार्थी व उसके भाई ने अप्रार्थी संख्या 2 की पट्टाशुदा भूमि को हडप करने के आशय से जबरन तीन वर्ष पूर्व दरवाजा लगाया है, लेकिन उक्त दरवाजे से कभी भी आवागमन नहीं हुआ है। अप्रार्थी संख्या 2 के स्वामीत्व की भूमि में दरवाजा लगाने का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है तथा न ही दरवाजा लगा देने से अप्रार्थी संख्या 2 की सम्पत्ति में अप्रार्थी के स्वामीत्व हक अधिकार किसी भी कदर प्रभावित होते है। ग्राम पंचायत, तंवरी ने अप्रार्थी संख्या–2 के हक में पात्र होने से नियमानुसार भूमि का निःशुल्क आवंटन कर पट्टा संख्या 3 दिनांक 31.10.1990 को जारी किया गया है। उक्त पट्टा संख्या 4 दिनांक 27.06.1976 की भूमि के उत्तर में ग्राम पंचायत की पडत भूमि थी, जिसका पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को पुरा पुरा अधिकार होने से अप्रार्थी संख्या 2 को पट्टा जारी किया गया है। यह कि भूखण्ड का निःशुल्क आवंटन के समय ग्राम तवरी में अप्रार्थी संख्या 2 का कोई आवासीय मकान नहीं था तथा अप्रार्थी संख्या 2 काश्त कर अपने तथा अपने परिवार का भरणपोषण करता था। अप्रार्थी संख्या 2 ने आबंटन के बाद उस पर कमरा बनाकर निवास करना प्रारम्भ किया, जिस पर विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है। अप्रार्थी संख्या–2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि पट्टा वर्ष 1990 में जारी किया गया है, जिसे 30 वर्ष की अवधि हो चुकी है तथा आवंटन के समय प्रार्थी अम्बालाल की आयु मात्र 5 वर्ष की थी। अप्रार्थी संख्या 2 के स्वामीत्व की भूमि में प्रार्थी ने दरवाजा गलत तरीके से खोला है, जिसे बंद कराने का अप्रार्थी संख्या 2 को पूर्ण अधिकार है। अप्रार्थी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी व्यक्त किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार 30 वर्ष पुराने किसी भी दस्तावेज की विश्वसनीयता पर संदेह नही किया जा सकता। अप्रार्थी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त 2012(2)DNJ(Raj.)Page 602, 2008(2)CT (Raj.) Page 1031, 2015(4)DNJ(Raj.)Page 1853, 2002(1)RRT Page 434 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या–2 को पट्टा संख्या 3 दिनांक 31.10.1990 को जारी किया गया है एवं इस पट्टे को निरस्त कराने हेतु पट्टा जारी होने के करीब 28 वर्ष बाद प्रार्थी ने यह निगरानी आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो अतिशय विलम्ब से प्रस्तुत किया है। इनती लम्बी अवधि मे प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूखण्ड पर प्रार्थी के अधिकार सृजित हो चुके है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी आवेदन कानूनन परिपोषणीय नही है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस एवं संबंधित कानून की स्थिति पर गंभीरतापूर्वक मनन किया गया तथा न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा अप्रार्थी भरत कुमार पुत्र धुडाजी, जाति– पुरोहित, निवासी– तंवरी के पक्ष में क्षेत्रफल 500 वर्गफीट भूखण्ड के निःशुल्क आवंटन का पट्टा संख्या 3 दिनांक 31.10.1990 को जारी किया गया है। तत्समय प्रभावी, राजस्थान पंचायत साम[illegible] 1961 के नियम [illegible] के अन्तर्गत पंचायत अनुसूचित जाति, जन जातियों, पिछड़ी जातियों [illegible] ग्रामीण शिल्पियों और ऐसे भूमिहीन श्रमिकों, जिनके पास [illegible] आबादी में 150 वर्गगज अर्थात 1350 वर्गफीट [illegible] सकती थी।

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रकरण में सर्वप्रथम मुख्यतः विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अप्रार्थी भरत कुमार निःशुल्क भूखण्ड़ पाने की पात्रता रखता था अथवा नही? इस संबंध में प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि थानाराम, मोटाराम, अप्रार्थी भरत कुमार, अनील कुमार पिसरान धूडाजी पुरोहित, निवासी– तंवरी द्वारा श्री बाबुलाल पुत्र मगाजी एवं खेतमल पुत्र मगाजी, जाति– जैन, निवासी– तंवरी से ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा जारी पट्टा संख्या 4 दिनांक 27.6.1976 की क्षेत्रफल 2500 वर्गफीट आबादी भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दस्तावेज संख्या 934/81 दिनांक 07.9.1981 के द्वारा क्रय किया था। इससे यह तथ्य स्पष्ट है कि अप्रार्थी भरत कुमार को निःशुल्क भूखण्ड़ का आवंटन होने से पूर्व से ही अप्रार्थी भरत कुमार के पास उक्त क्रयशुदा भूखण्ड की आवासीय भूमि उपलब्ध थी। ऐसी स्थिति में, अप्रार्थी भरत कुमार निःशुल्क भूखण्ड़ पाने की पात्रता नही रखता था।

प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफस के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि मौके पर अप्रार्थी भरत कुमार द्वारा पक्का दुकाननुमा केबिन बनाकर व्यवसाय किया जा रहा है। उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पट्टा संख्या 4 दिनांक 27.6.1976 के क्रय शुदा भूखण्ड़ के उत्तर दिशा में पडत भूमि व रास्ता है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा प्रश्नगत पट्टा संख्या 3 दिनांक 31.10.1990 से संबंधित रेकर्ड ग्राम पंचायत, तंवरी से तलब किये जाने पर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, तंवरी ने पत्र क्रमांकः108 दिनांक 19.8.2020 से यह बताया है कि अप्रार्थी भरत कुमार पुत्र धुडाजी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 3 दिनांक 31.10.1990 से संबंधित रेकर्ड ग्राम पंचायत, तंवरी में नही है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रश्नगत पट्टे को निरस्त कर प्रकरण ग्राम पंचायत, तंवरी को मौके व रेकर्ड की जांच कर पुनः विधि सम्मत कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा अप्रार्थी भरत कुमार पुत्र धुडाजी, जाति– पुरोहित, निवासी–तंवरी के पक्ष में निःशुल्क भूखण्ड आवंटन का जारी पट्टा संख्या 3 दिनांक 31.10.1990 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, तंवरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूखण्ड़ के मौके व रेकर्ड की जांच कर पुनः विधि अनुरुप कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested